लक्ष्य 16 सततविकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना, तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना

2030 तक	
16.1	हर जगह हिंसा और संबंधित सभी प्रकार की मृत्यु दरों में व्यापक कमी करना।
16.2	बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, उनके शोषण, अवैध तरह पर बेचने की प्रक्रिया तथा सभी प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करना।
16.3	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी नियम को बढ़ावा देना सभी के लिए एक समान न्याय सुनिश्चित करना।
16.4	अवैध वित्तीय और हथियार के व्यापार में व्यापक कमी करना, चोरी की संपत्तियों की बरामदगी तथा वापसी और सभी प्रकार के संगठितअपराधों से निपटना।
16.5	सभी प्रकार के भ्रष्टाचार और रिश्वत मे व्यापक कमी लाना।
16.6	सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह तथा पारदर्शी संस्थाओं का विकास करना।
16.7	सभी स्तरों पर अनुक्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक, निर्णय लेना सुनिश्चित करना।
16.8	वैश्विक शासन वाली संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ानाऔरउन्हेंसुदृढ़ करना।
16.9	जन्म पंजीकरण सहित सभी के लिए वैधानिक पहचान उपलब्ध कराना।
16.10	जन सूचना उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय विधान और अंतर्राष्ट्रीय करारों के अनुसार मौलिक स्वतंत्रता का संरक्षण करना।
16.क	विशेष रूप से विकासशील देशों में हिंसा रोकने और आतंकवाद तथा अपराध से निपटने के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय के माध्यम से संबंधित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना।
16.ख	संधारणीय विकास हेतु भेदभाव रहित कानूनों और नीतियों का प्रवर्तन और संवर्धन करना।

16

सततविकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना, तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना

राष्ट्रीय योजनाएं एवं गनीतियां

नोडल मंत्रालय. गृह मंत्रालय, भारत सरकार

<table>
<tr><th>केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)</th><th>संबंधित हस्तक्षेप</th><th>लक्ष्य</th><th>अन्य संबंधित मंत्रलय एवं विभाग</th></tr>
<tr><td rowspan="12">1. पंचायत युवा और खेल अभियान (PYKKA)
2. न्यायतंत्र के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं एवं ग्राम न्यायालय (Core)
3. एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (ICPS) (Core)</td><td rowspan="12">1. डिजिटल इंडिया
2. प्रगति प्लेटफॉर्म (जन शिकायतें एवं पेंशन प्रणली)
3. आरटीआई (सूचना का अधिकार अधिनियम)</td><td>लक्ष्य 16.1</td><td>गृह मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य 16.2</td><td>गृह मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य 16.3</td><td>गृह मंत्रालय, कानून एवं न्याय</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य 16.4</td><td>गृह मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य 16.5</td><td>गृह मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य 16.6</td><td>गृह मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य 16.7</td><td>कार्मिक एजन शिकायतें एवं पेंशन, आवास एवं गरीबी उप शमन मंत्रालय, ग्रामीण विकास, पंचायती राज</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य 16.8</td><td>विदेश मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य 16.9</td><td>गृह मंत्रालयए पंचायती राज</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य 16.10</td><td>गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य 16.क</td><td>गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य 16.ख</td><td>गृह मंत्रालय</td></tr>
<tr><td colspan="4">Source: - http://niti.gov.in/writereaddata/files/SDGsV20-Mapping080616-DG_0.pdf</td></tr>
</table>

खामियां और चुनौतियां

वर्ष 2005 और 2014 के अनुपात गैर अनुसूचित जाति द्वारा अनुसूचित जाति पर किए जाने वाले अपराध राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्डब्यूरो के अनुसार 0.52 से 0.66 अनुपात से यह बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया है। इसी समय में अपराधों का दोष सिद्धि दर 29 प्रतिशत कम ही रहा। जबकि अपराधों की दर 73 प्रतिशत से 80 प्रतिशत होगयाहै। (NCRB, 2016). इसी समय में गैर अनुसूचित जनजाति द्वार अनुसूचित जनजाति पर अपराधों की दर 0.11 प्रतिशत से 0.16 हो गई है जो कि बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया है। दोष सिद्धि दर वर्ष 2005 में 28 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2013 में घटकर 16 प्रतिशत हो गया और 2014 में 37 प्रतिशत हो गया। फिर भी सब अपराधों से कम है। इस प्रकार, पिछले दशक से, जब से एमडीजी कार्यान्वित हो रहा था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति शांति और न्याय की स्थिति बिगड़ गई है।

देश सांप्रदायिक हिंसा से भी गुजर रहा है अल्प संख्यक समुदाय के प्रति सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है, खासकर गुजरात में मुसलमानों पर और कंधमाल में ईसाईयों पर। इसके अलावा देश में होने वाले दंगे कमजोर समुदायों में न्याय और शांति बनाए रखने में चुनौती बन गए हैं। हाल ही में राष्ट्रवाद, राष्ट्र विरोध, राजद्रोह कानून पर आक्रामक बहस शुरू हो गई है। छात्रों में संघर्ष और विवाद हो गया।

हिंसा के सभी रूपों को कम करने और मृत्यु दर को हर कहीं कम करने का लक्ष्य है। विशेष लक्ष्य है व्यक्तियों एवं समुदायों पर जाति, धर्म, आदिवासी आदि के कारण हिंसा होने को काम करना। अपशब्द, शोषण, ट्रैफिकिंग एवं हिंसा के सभी रूप, बच्चों एवं महिलाओं को टॉर्चरकरना, अशक्तव्यक्ति, एवं कमजोर समुदायों के बारे में बात करना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर कानूनों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है ताकि सभी की न्याय तक पहुंच हो। समावेश एवं वातावरण के लिए समुदायों के प्रति समान सोच विकसित करने का प्रयास किया जाए। अवैध वित्त एवं हथियारों को कम करने हैं। चोरी की संपत्तिवापसी के लिए दृढ़ करना, और सभी संगठित अपराधों के सभी प्रकार से संघर्ष करना तथा बाद में भ्रष्टाचार एवं रिश्वत को कम करना।

16

सततविकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सोसाइटियों को बढ़ावा देना, सभी को न्याय उपलब्ध कराना, तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना

सुझाओ

1. न्याय तंत्र प्रभावी ढंग से काम करे इसके लिए जरूरी है कि नागरिकों के बारे में पुलिस एवं न्यायधीशों को संवेदनशील किया जाए इसके लिए समुदायों एव संस्थानों को शामिल किया जाए, कानूनी सहायता सेवाएं बढ़ाई जाएं। गरीबों के लिए कानून सेवा समिति का गठन किया जाए।

2. कोर्ट एवं अन्य न्याय तंत्र के लिए पंचायती राज संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायतीराज नागरिकों एवं कोर्ट के बीच मध्यम भूमिका निभा सकता है और महंगी न्याय प्रक्रिया से नागरिकों को राहत देता है। राज्यों एवं समुदायों में 'न्याय पंचायत' की अवधारणा को मजबूत किया जाए।

3. न्याय प्रणाली के संचालन के लिए तथा कानून के बारे में जागरूकता हेतु संस्थानों की गुणवत्ता पर भी जोर दिया जाए और संबंधित लोगों का क्षमता वर्धन किया जाए।

4. कानून प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए, समुदायों को अपनेअधिकारों के दावों के लिए कानूनी प्रक्रिया में भागीदारी हो। भेदभाव एवं साम्प्रदायिक हिंसा में कानून की भूमिका पर चर्चा हो तब आगे कदम उठाए जाएं।

WADA NA TODO ABHIYAN

Holding the Government Accountable to its Promise to End Poverty, Social Exclusion & Discrimination